



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2025/D-2

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 268720 दिनांक 26/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Indra W/o Rajesh	श्री शंकर यादव पुत्र श्री गुलाब चन्द यादव	24	105.55 SQ. YARD	Cooperative	RAM NAGAR VISTAR Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed)   Original Lease Deed (Patta)	महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति की राम नगर विस्तार योजना के भूखण्ड सं. 24 एवं 25 क्षेत्रफल 211.10 व.ग. का आवंटन जविप्रा के विक्रय पत्र संख्या 1260/07 दिनांक 15.05.2007 द्वारा श्री शंकर यादव पुत्र श्री गुलाब चन्द यादव को पट्टा जारी किया गया। श्री शंकर यादव पुत्र श्री गुलाब चन्द यादव द्वारा भूखण्ड सं. 24 क्षेत्रफल 105.55 व.ग. का बेचान दिनांक 10.07.2007 को श्रीमती जाहिदा बानो पत्नी श्री मोहम्मद इस्तियाक को किया गया। तत्पश्चात श्रीमती



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

जाहिदा बानो  
पत्नी श्री मोहम्मद  
इस्तियाक द्वारा  
उक्त भूखण्ड का  
बेचान दिनांक  
16.01.2025 को  
श्रीमती इन्द्रा  
पत्नी श्री राजेश  
को किया गया।  
आवेदनकर्ता  
श्रीमती इन्द्रा  
पत्नी श्री राजेश  
द्वारा लीज होल्ड  
से फ्री होल्ड  
आवेदन प्रस्तुत  
किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

### प्रतिलिपि:-

1. Indra W/o Rajesh को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

### नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |